भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2120

सोमवार, 5 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

कैलाश यात्रा

†2120. श्रीमती मालविका देवीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वी भारत विशेष रूप से ओडिशा राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कैलाश यात्रा के लिए नियमों और विनियमों का ब्यौरा क्या है तथा तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल एजेंसियों और सरकारी कंपनियों के प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): पर्यटन मंत्रालय घरेलू और वैश्विक बाजारों में ओडिशा के समुद्र तट सहित भारत के पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन करता है। यह प्रचार कार्य आयोजनों और सोशल मीडिया सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से किया जाता है।

पर्यटन मंत्रालय क्रूज पर्यटन और नदियों में क्रूजिंग सहित पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केन्द्र सरकार की एजेंसियों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत तटीय परिपथ के रूप में गोपालपुर, बरकुल, सातापाड़ा और ताम्पारा के विकास के लिए 70.82 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

(ख): विदेश मंत्रालय, दोनों देशों के बीच दो मार्गो के लिए मई, 2013 में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल और सितम्बर, 2014 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में क्रमश:

उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे और सिक्किम में नाथुला दर्रे के दो अधिकारिक मार्गों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष जून और सितम्बर के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन कर रहा है। यह यात्रा दिल्ली, उत्तराखंड और सिक्किम की राज्य सरकारों के साथ ही भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के सहयोग से हो रही है।

कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप लगे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं हो पाई और यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी प्राथमिक शर्तों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

(ग): पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन के संवर्धन हेतु नवंबर, 2020 में बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है जिससे योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। संशोधित एमडीए दिशा-निर्देशों के अनुसार, घरेलू पर्यटन के संवर्धन के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के पर्यटन विभाग भी अब इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। पर्यटन मंत्रालय विभिन्न हितधारकों और व्यावसायिक संगठनों के साथ बैठकों में सम्मिलित होने के लिए राज्य सरकारों, ट्रेवल एजेंसियों, टूर ऑपरेटरों, होटल मालिकों आदि के साथ भारत और विदेश में प्रमुख यात्रा व्यापार मेलों में भाग लेता है।

****